छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 10/02/2006

क्रमांक एफ–10/16/2006/वाक/पांच (6) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/392/2001/वाक/पॉच (70), दिनांक 12.11.2001, में निम्नानुसार संशोधन करती है –

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में –

(i). अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (4) (क) में शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को विलोपित किया जाए।

(ii). अनुक्रमांक 2 के सामने कालम (2) में शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को विलोपित किया जाए।

(iii). अनुक्रमांक 3 के सामने कालम (2) में शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को विलोपित किया जाए।

2. उक्त संशोधन 01.04.2005 से प्रभावशील माने जायेंगे।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक

क्रमांक एफ–10/ 16 /2006/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/ 16 /2006/वाक/पांच (6), दिनांक 10/02/06 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 10/02/2006

No. F-10/ 16 /2006/CT/V (6) - In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendments in this department Notification No. F-10/392/2001/CT/V (70), dated 12.11.2001 -

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification -

(i). In column (4)(a) against serial No. 1, the words "other than rounds or rods in coil form" shall be omitted.

(ii). In column (2) against serial No. 2, the words " other than rounds or rods in coil form " shall be omitted.

(iii). In column (2) against serial No. 3, the words " other than rounds or rods in coil form " shall be omitted.

2. These amendments shall be deemed to have come into force with effect from 01.04.2005.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R.Misra)
joint secretary

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 22 Feb. 2006

No. F-10/30 /2005/CT/V (10) - In exercise of the powers conferred by section 80 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Vanijyik Kar Niyam, 1995, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,
[for rule-4, the following rules shall be substituted, namely,-]

"**Constitution of the Tribunal and its functions-** (1) The Tribunal shall consist of a Chairman and one Member to be appointed by the State Government.

(2) (a) The Chairman of the Tribunal shall be the person who is or has been a member of Higher Judicial Service in super time scale or a serving or retired member of the Indian Administrative Service of the Chhattisgarh cadre, who has held the post of Principal Secretary or equivalent in the Government of Chhattisgarh at least for three years.

(b) The Member of the tribunal shall be the person who has held the post of Additional Commissioner Commercial Tax in Madhya Pradesh or Chhattisgarh at least for three years.

(3) (a) The Chairman shall hold office as such for a term of five years from the date on which he assumes charge or until he attains the age of sixty five years whichever is earlier.

(b) The Member shall hold office as such for a term of two years from the date on which he assumes charge or until he attains the age of sixty two years, whichever is earlier.

(4) The Chairman or Member of the Tribunal may at any time tender his resignation from the post and such resignation shall take effect from the date of acceptance by the State Government.

(5) The State Government may terminate before the expiry of the tenure the appointment of the Chairman or Member of the Tribunal, if the Chairman or the Member:

(a) is adjudged as an insolvent; or

(b) is engaged during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or

-2-

(c) is in the opinion of the State Government, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or

(d) is convicted of an offence involving moral turpitude.

(6) The head quarters of the Tribunal shall be at Raipur.

(7) The functions of the Tribunal may be performed by any one of the Chairman / Member or the full bench. An appeal against the order of the Commissioner shall be heard and decided either by the Chairman or by a bench consisting of the Chairman and Member.

(8) In case Chairman/Member of the Tribunal has a difference of opinion about any earlier judgement passed by a single member then the case shall be referred to the full bench.

(9) The Tribunal shall, in consultation with State Government for the purpose of regulating its procedure and disposal of its business, make regulations consistent with the provisions of the Act and the rules made thereunder.

(10) The salaries, allowances and other terms and conditions of service of the Chairman and Member of Tribunal shall be such as the State Government may, by order, specify but shall not be disadvantages from their previous service.

(11) (a) The State Government shall determine the nature and category of the officers and other employees required to assist the Tribunal in the discharge of its function and provide the Tribunal such officers and other employees as it may think fit.

(b) The officer and other employees of the Tribunal shall discharge their functions under the general superintendence of the Chairman.

(c) The salaries and allowances and conditions of service of the officers and other employees of the Tribunal shall be such as may be specified by the State Government."

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Mishra)
Joint Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी, 2006

क्रमांक एफ–10/30/2005/वाक/पांच (1.0) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त कथित नियम में, नियम चार के स्थान पर नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"**अधिकरण का गठन एवं उसके कार्य** : – (1) अधिकरण में, राज्य शासन द्वारा नियुक्त अध्यक्ष तथा एक सदस्य होगा।

(2) (क) अधिकरण का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा, जो अधिकतम वेतनमान पर उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य है या रह चुका है या भारतीय प्रशासनिक सेवा का छत्तीसगढ़ संवर्ग से सेवारत या सेवानिवृत्त सदस्य हो जो छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव या समकक्ष पद पर कम से कम तीन वर्ष तक पद धारण कर चुका हो,

(ख) सदस्य वह व्यक्ति होगा, जो मध्यप्रदेश या छत्तीसगढ़ में कम से कम तीन वर्ष के लिए अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर का पद धारित कर चुका हो।

(3) (क) अध्यक्ष पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु होने तक, जो भी पूर्वतर हो, पदधारण करेगा।

(ख) सदस्य पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या बांसठ वर्ष की आयु होने तक, जो भी पूर्वतर हो, पदधारण करेगा।

(4) अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकेगा और ऐसा इस्तीफा राज्य शासन द्वारा स्वीकृत दिनांक से प्रभावी होगा।

(5) राज्य शासन अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व समाप्त कर सकेगा, यदि अध्यक्ष या सदस्यः

(क) दिवालिया न्यायनिर्णित हो गया हो; या

(ख) अपनी कार्य अवधि में कार्यालयीन कर्तव्यों के बाहर वेतनभोगी सेवा में कार्यरत हो; या,

(ग) राज्य शासन के मतानुसार, वह शारीरिक या दिमागी अयोग्यता के कारण से सतत कार्य करने के अक्षम हो; या,

(घ) नैतिक अनाचार के किसी अपराध में शामिल होने के लिए सिद्धदोष पाया गया हो।

(6) अधिकरण का मुख्यालय रायपुर में होगा।

(7) अधिकरण के कार्यो का सम्पादन अध्यक्ष/सदस्य में किसी एक के द्वारा या पूर्ण पीठ द्वारा किया जाएगा। आयुक्त के आदेश के विरूद्व अपील अध्यक्ष या अध्यक्ष एवं सदस्य से बनी पीठ द्वारा सुनी तथा निर्णित की जाएगी।

(8) यदि अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य का मत, किसी एक सदस्य द्वारा पूर्व में पारित निर्णय से भिन्न है, तो प्रकरण पूर्ण पीठ को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(9) राज्य शासन की परामर्श से, अधिकरण अपनी प्रक्रिया एवं कामकाज के निपटारे को विनियमित करने के लिए विनियम, जो इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमो से सुसंगत हो, बनाएगा।

(10) अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन, भत्ते तथा अन्य निर्बन्धन एवं शर्ते, ऐसी होंगी, जैसा की राज्य शासन आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें परंतु उनकी पूर्व की सेवाओं के प्रतिकूल नहीं होगी।

(11) (क) राज्य शासन, अधिकरण को, उसके कार्य निर्वहन में सहायता के लिए, आवश्यक अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियो की प्रकृति तथा संवर्ग सुनिश्चित करेगा और ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जैसा कि वह उचित समझे, उपलब्ध कराएगा।

(ख) अधिकरण के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निवर्हन अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण में करेंगे।

(ग) अधिकरण के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की शर्ते, वैसी होंगी जैसा कि राज्य शासन निर्धारित करें।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम स
तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी, 2006

पृष्ठांकन क्रमांक एफ–10/30/2005/वाक/पांच– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/30/2005/वाक/पांच (10), दिनांक 22 फरवरी, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 25/02/2006

क्रमांक एफ–10/17/2006/वाक/पांच (11) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 27 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा तिरूपति रोड केरियर, रायगढ़ के संबंध में छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (कमांक 52 सन् 1976) के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक करनिर्धारण कार्यवाहियां जो लंबित हो, जो 28 फरवरी, 2006 तक पूर्ण नही की जाती हैं, पूर्ण करने की अवधि 31 दिसम्बर, 2006 तक बढ़ाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 25/02/2006

क्रमांक एफ–10/ 17 /2006/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/17/2006/वाक/पांच (11), दिनांक 25/02/06 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 25/02/2006

No. F-10/ 17 /2006/CT/V(11) - In exercise of the powers conferred by sub-section (9) of Section 27 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby extends upto 31st December, 2006, the period for completion of every such assessment proceedings under the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), in respect of Tirupati Road Carrier, Raigarh which is not completed by the 28th February, 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Joint secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 31 मार्च, 2006

क्रमांक एफ–10/27/2006/वाक/पांच (21) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विर्निदिष्ट अधिसूचनाओं को 1 अप्रेल, 2006 की प्रभावशीलता से विखंडित करती है:–

अ नु सू ची

अनुक्रमांक	अधिसूचना कमांक	दिनांक
1	2	3
(1)	ए–5–1–94–विक–पांच (18)	01.04.95
(2)	ए–5–1–94–विक–पांच (19)	01.04.95
(3)	ए–5–1–94–विक–पांच (20)	01.04.95
(4)	ए–5–1–94–विक–पांच (21)	01.04.95
(5)	ए–5–1–94–विक–पांच (22)	01.04.95
(6)	ए–5–1–94–विक–पांच (23)	01.04.95
(7)	ए–5–1–94–विक–पांच (24)	01.04.95
(8)	ए–5–1–94–विक–पांच (28)	01.04.95
(9)	ए–3–8–95–विक–पांच (68)	07.08.95
(10)	ए–3–8–95–विक–पांच (69)	07.08.95
(11)	ए–3–8–95–विक–पांच (70)	07.08.95
(12)	ए–3–15–95–विक–पांच (84)	06.11.95
(13)	ए–5–4–96–विक–पांच (14)	12.04.96
(14)	ए–3–46–96–विक–पांच (3)	22.01.97
(15)	ए–3–89–95–विक–पांच (111)	12.12.97
(16)	ए–3–27–2000–विक–पांच (24)	30.03.2000
(17)	ए–3–46–2000–विक–पांच (52)	17.07.2000
(18)	ए–3–49–99–विक–पांच (70)	31.08.2000
(19)	ए–3–45–2000–विक–पांच (75)	28.09.2000
(20)	ए–3–44–2000–विक–पांच (80)	12.10.2000
(21)	एफ–10–29–2004–वाक–पांच (69)	23.09.2004

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 31 मार्च, 2006

क्रमांक एफ–10/27/2006/वाक/पांच– भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/27/2006/वाक/पांच (21), दिनांक 31-3-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 31/03/2006

No. F-10/ 27 /2006/CT/V(21) - In exercise of the powers conferred under the provisions of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby rescinds the notifications specified in the schedule below with effect from 1st April, 2006:-

SCHEDULE

S.No.	Notification No.	Date
1	2	3
(1)	A-5-1-94-ST-V (18)	01-04-95
(2)	A-5-1-94-ST-V (19)	01-04-95
(3)	A-5-1-94-ST-V (20)	01-04-95
(4)	A-5-1-94-ST-V (21)	01-04-95
(5)	A-5-1-94-ST-V (22)	01-04-95
(6)	A-5-1-94-ST-V (23)	01-04-95
(7)	A-5-1-94-ST-V (24)	01-04-95
(8)	A-5-1-94-ST-V (28)	01-04-95
(9)	A-3-8-95-ST-V (68)	07-08-95
(10)	A-3-8-95-ST-V (69)	07-08-95
(11)	A-3-8-95-ST-V (70)	07-08-95
(12)	A-3-15-95-ST-V (84)	06-11-95
(13)	A-5-4-96-ST-V (14)	12-04-96
(14)	A-3-46-96-ST-V (3)	22-01-97
(5)	A-3-89-95-ST-V (111)	12-12-97
(16)	A-3-27-2000-ST-V (24)	30-03-2000
(17)	A-3-46-2000-ST-V (52)	17-07-2000
(18)	A-3-49-99-ST-V (70)	31-08-2000
(19)	A-3-45-2000-ST-V (75)	28-09-2000
(20)	A-3-44-2000-ST-V (80)	12-10-2000
(21)	F-10-29-2004-CT-V (69)	23-09-2004

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Joint secretary

वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 30-12-2006

क्रमांक एफ–10/115/2006/वाक/पांच (101) – चूंकि राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि :–

(1) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) एवं छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षैत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अंतर्गत करदायी व्यवसाईयों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जिनका करनिर्धारण सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा किया जाना है;

(2) ऐसे व्यवसाईयों एवं उनके करनिर्धारण प्रकरणों की संख्या में हुई वृद्धि के अनुरूप ऐसे व्यवसाईयों का उक्त अधिनियमों के अधीन करनिर्धारण करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की संख्या में वृद्धि नही हुई है;

(3) ऐसे सभी व्यवसाईयों जिनकी करनिर्धारण कार्यवाहियां छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 27 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत कलैन्डर वर्ष 2006 के अंत तक पूर्ण किया जाना नियत है, कलैन्डर वर्ष 2006 की समाप्ति के पूर्व पूर्ण किया जाना है;

(4) ऐसे सभी व्यवसाईयों का सही करनिर्धारण गुण–दोष के आधार पर उक्त प्राधिकारियों द्वारा उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए किया जाना है;

(5) उक्त प्राधिकारियों द्वारा ऐसे करनिर्धारण की कार्यवाहियों को कलैन्डर वर्ष 2006 के अंत तक पूर्ण किये जाने के प्रयासों के उपरांत भी उक्त अवधि के अंत तक ऐसी कार्यवाहियां पूर्ण किया जाना संभव नही है;

(6) उपरोंक्त कार्यवाहियों का पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

अतः छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 27 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा प्रत्येक व्यवसाई के संबंध में उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक करनिर्धारण कार्यवाहियां जो सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारियों एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों के समक्ष लंबित हो, जो 31 दिसम्बर, 2006 तक पूर्ण नही की जाती हैं, पूर्ण करने की अवधि 31 जनवरी, 2007 तक बढ़ाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 30–12–2006

क्रमांक एफ–10/115/2006/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/115/2006/वाक/ पांच (101), दिनांक 30-12-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 30-12-2006

No. F-10/ 115 /2006/CT/V(101) - Whereas, the State Government is satisfied that,-

(I) There has been considerable increase in the number of dealers liable to pay tax under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), who are to be assessed by Assistant Commissioner of Commercial Tax, Commercial Tax Officer and Assistant Commercial Tax Officer;

(II) There has been no increase in the number of authorities competent to make assessment of such dealers under the said Acts, commensurate with the increase in the number of such dealers and their assessment cases;

(III) The assessment proceedings of all such dealers due for completion by the end of the calendar year 2006 under the provisions of sub-section (8) of Section 27 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), have to be completed before the expiry of the calendar year 2006;

(IV) Correct assessment of such dealers, on merits have to be made by the said authorities after affording them a reasonable opportunity of being heard;

(V) Despite efforts being made by the said authorities to complete such assessment proceedings by the end of the calendar year 2006 such proceedings cannot be completed by end of the said period; and

(VI) The aforesaid proceedings need to be completed.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (9) of Section 27of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby extends upto 31st January, 2007, the period for completion of every such assessment proceedings under the said Acts in respect of every dealer pending before the Assistant Commissioner of Commercial Tax, Commercial Tax Officers and Assistant Commercial Tax Officers which is not completed by the 31st December, 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

Misra

(K.R. Misra)
Joint secretary